

करीब 18/6/2025 को पेपर (अपना दिनांक 18/6/2025 को पेपर)

ON
अपना दिनांक
नवलाह

18/6/2025

1/1/1/1/1

अपना दिनांक 18.01.25 को कर्तव्य रूप में
09 नियम 13 तदनुसार धारा 15(1) के
तहत पेपर दिया है। जिसे अतिरिक्त स्वयं
कोष में केंद्रों की व्यवस्था का
साथ में लिया है प्रकृत में काफी समय
से स्वयं है जिसे अतिरिक्त को अतिरिक्त
पेपरों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त
अतिरिक्त स्वयं 09 R 13 CR, 15(1) CR
के तहत न्यायालय के मुकाम पर
रखना दिया गया है जिसे अब
कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है
लम्बित रख रख है। उक्त स्वयं कोष
की कस में न्यायालय के कोष की
पालना नहीं देने दे रहा है। इनको
उक्त सा. प्र. में दिनांक 18.01.2025

निदेश
अपना दिनांक अधिकारी

को पारित करारिम मोडें देव लिखि के स्थान को वेकरी कपात छिया जाव। वहील ~~आवेक~~ आवेक व कारेकजमे को का-का मावाज लगई गई। परंतु उपस्थित नथे ड्ये।

सहित कृत पर मनन छिया ज्वा। पत्रावली पर स्थान कोड्य 18.01.2025 से प्रभावी है। प्र.पत्र 09 R/B, 151 का मे स्थान दिया ज्वा है। प्रभावी ड्ये अपने प्र.पत्र को "धिस" भी नथे छिया जा ल्य है। कोर नथे प्र.पत्र को सेपर चलाया जा रथ है।

लिहाजा डिक 18.01.2025 को पारित स्थान कोड्य तलबाल प्रभावी से वेकल कपात छिया जाता है। ~~प्रभावी~~ आवेक पत्र ड्ये "धिस" नथे जाने तथा उपस्थित नथे जाने के काठ कडम पेची, कडम चजये कडम तलबाल जारी छिया जाता है। पत्रावली डिकल शुभा छ गद्य के अमद्य।

उपखण्ड अधिकारी
मदन